

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 544]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 10 दिसम्बर 2013—अग्रहायण 19, शक 1935

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 10 दिसम्बर 2013

क्र. एफ 17-03-2013-एक-4.—मैनोवर्स फील्ड फायरिंग एण्ड आर्टिलरी प्रेक्टिस एक्ट, 1938 (5, सन् 1938) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 6 अप्रैल, 2013 में निम्नलिखित संशोधन करता है :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में मैनोवर्स फील्ड फायरिंग एण्ड आर्टिलरी प्रेक्टिस एक्ट, 1938 (5, सन् 1938) की धारा 9 की उपधारा (1) के आगे (2, 3 एवं 4) जोड़ा जाये.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सुरेश, प्रमुख सचिव.